

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग-4

देहरादून : दिनांक 04 जुलाई, 2019

विषय-राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के सुअवसर पर द्वितीय चरण (06 अप्रैल, 2019) को सिद्धदोष बन्दियों को परिहार प्रदान कर रिहा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-53/666/डांडी यात्रा/2018, दिनांक 07-01-2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के सुअवसर पर द्वितीय चरण (06 अप्रैल, 2019) में 08 सिद्धदोष बन्दियों को विशेष परिहार प्रदान कर कारागार से रिहा किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था।

2- इस सम्बन्ध में आपके कार्यालय के पत्र संख्या-498/666/डांडी यात्रा/2018, दिनांक 31-05-2019 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 के दृष्टिगत मार्च, 2019 से प्रभावी आदर्श आचार संहिता के दौरान उक्त 08 में से 04 सिद्धदोष बंदी अपनी सजा पूर्ण कर कारागार से रिहा हो चुके हैं।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-432 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित 04 सिद्धदोष बन्दियों द्वारा संगत धारा में दिये गये दण्ड के सापेक्ष भोगी गयी सजावधि को पर्याप्त मानते हुये उन्हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में द्वितीय चरण '06 अप्रैल, 2019' के सुअवसर पर परिहार प्रदान कर कारागार से रिहा किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

जिला कारागार देहरादून					(दि 05.04.2019 तक)	
क्र०	सिद्धदोष बन्दी का नाम/पिता का नाम	आयु	निवास स्थान	धारा	दण्डावधि	भोगी गयी सजा
1	दिनेश उर्फ भीम पुत्र श्री चतरपाल	24	गली न०-4, न्यू मीनाक्षीपुरम, थाना-गंगानहर, जिला मेरठ (उ०प्र०)	380, 457, 411 IPC	03 वर्ष	02 वर्ष 04 माह 17 दिन
2	दिलशाद उर्फ मान्नी पुत्र श्री इलियास	21	निकट फतेशाह मस्जिद, थाना रामपुर मनिहारन, जिला सहारनपुर, उ०प्र०	457/380/511 457/380/411 454/380/411 380/457/411 IPC	04 वर्ष	03 वर्ष 12 दिन
जिला कारागार, हरिद्वार						
3	अरविन्द भट्ट पुत्र स्व० श्री विद्यादत्त	40	1 ब्लॉक, गंगानगर, मेरठ हाल-बंगाल बस्ती, मायाकुण्ड, ऋषिकेश।	457/380/511 457/380/511 IPC	06 वर्ष	04 वर्ष 09 माह 25 दिन
4	जीवन सिंह पुत्र श्री भवान सिंह	38	ग्राम-ग्वाडी पट्टी क्षेत्र ग्वाडी, तह० गंगोलीहाट जिला-पिथौरागढ़	306 IPC	05 वर्ष	03 वर्ष 08 माह 26 दिन

3- यदि उक्त बन्दी किसी अन्य वाद में वांछित न हो, तो इन्हे महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्ष जयन्ती के उपलक्ष्य में गृह मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 17013/17/2018-पी. आर. दिनांक 20.09.2018 (छायाप्रति संलग्न) में प्रदत्त दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तत्काल कारागार से रिहा कर दिया जाय।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(नितेश कुमार झा)
सचिव

संख्या-538 / XX-4 / 2019-1(86) / 2018, तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून/उत्तरकाशी/पिथौरागढ़।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. मण्डलायुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल परिक्षेत्र, उत्तराखण्ड।
9. जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून/हरिद्वार/उत्तरकाशी/पिथौरागढ़/मेरठ/सहारनपुर।
10. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, देहरादून/हरिद्वार/उत्तरकाशी/पिथौरागढ़/मेरठ/सहारनपुर।
11. वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार, देहरादून/हरिद्वार।
12. मॉर्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव